

पेंशन नियमों से शासित/**GOVERNED BY PENSION RULE**
सवारी डिब्बा कारखाना, चेन्नै/**INTEGRAL COACH FACTORY, CHENNAI-38**

Office of the PCPO,
Personnel Branch,
Dated: 23/01/2019

कार्यालय आदेश सं/OFFICE ORDER No.PB/S1A/157

निम्नलिखित कर्मचारियों की 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर अधिवाषिकी के कारण प्रत्येक के सामने निर्दिष्ट तारीख से रेल सेवा से सेवानिवृत्त होंगे। The under mentioned employees will superannuate from Railway Service on the date indicated against each on completion of 60 years of age.

Sl No.	Name Emp.No. Designation Unit/T-No.	Pay (RSRP-2016) Level Date of increment	Date of Birth Date of Appnt.	Date of Completion of 60 yrs. PENSION TYPE	Retirement Date AN of Service.
1	AMALA.P 667315 Chief Lab Supdt 91A	Rs.80200/- Level-9 01-07-2018	06-08-1959 01-10-1982	05-08-2019 PENSION	31-08-2019 36 Years 10 Months
2	KALYANI.M (SC) 774209 Head Ferro Printer, 77A	Rs.35000/- Level-3 01-07-2018	13-08-1959 08-01-1993	12-08-2019 PENSION	31-08-2019 26 Years 7 Months
3	SHANMUGHAN.TG 656704 SSE(Design), 72D	Rs.68000/- Level-7 01-07-2018	17-10-1959 08-08-1985	16-10-2019 PENSION	31-10-2019 34 Years 2 Months
4	JAYARAMAN.P 659500 Sr.Technician, 77B	Rs.42300/- Level-6 01-07-2018	21-11-1959 27-11-1990	20-11-2019 PENSION	30-11-2019 29 Years 0 Months
5	LOURDUSEKAR.T 838188 Ch. Pharmacist, 91A	Rs.76500/- Level-7 01-07-2018	12-12-1959 02-06-1984	11-12-2019 PENSION	31-12-2019 35 Years 6 Months
6	JOHN.PP 797873 Steno Gr.I, 99A	Rs.64100/- Level-7 01-07-2018	20-12-1959 25-11-1991	19-12-2019 PENSION	31-12-2019 28 Years 1 Months

अनअर्हक सेवा 'यदि कोई हो तो' को हिसाब में लिए बिना प्रत्येक कर्मचारी की कुल अर्हक सेवा उनके सामने दर्शाई गई है। अनअर्हक सेवा में ईओएल, यूए, डायस-नॉन आदि शामिल किया गया है। अर्हक सेवा के आधार पर पेंशन लाभ की गणना की जाएगी। कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि इस संदर्भ में यदि किसी कर्मचारी को उनके पूर्ववर्ती सेवाओं में या इस आदेश में समाविष्ट करने के संबंध में कोई संदेह हो तो वे साक्ष्य दस्तावेजों के साथ इस कार्यालय आदेश जारी होने की तारीख से एक महीने के अंदर संबंधित संवर्ग अनुभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें ताकि उस पर निवारण हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा सके। एक महीने के बाद प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

Contd...

The total service indicated against each name is without taking into account non-qualifying service, if any. Non-qualifying service includes EOL, UA, Dies-non, etc. Calculations for pensionary benefits will be based on the qualifying service rendered. The employees are advised that in case they have any doubt about inclusion or otherwise of any spell of previous service etc., they should contact the cadre section with documentary evidence within one month from the date of issue of this order, so that the discrepancy can be sorted out. No representation will be entertained after one month.

उपर्युक्त कर्मचारी, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना में शामिल होना चाहते हैं वे अपने सेवानिवृत्ति की तारीख से तीन महीने के पहले अपना विकल्प अवश्य प्रस्तुत करें। विकल्प प्रस्तुत करने हेतु प्रोफार्मा कल्याण केन्द्र से प्राप्त किया जा सकता है। The employees, who are willing to join the Retired Employees Liberalized Health Scheme, should give their willingness three months before the date of their retirement. The proforma for giving the willingness is available in Welfare Centre.


Dy. Chief Personnel Officer/WS

सं/No.PB/S1A/208/Vol.I dated:23 /01/2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित /Copy forwarded for information and necessary action to:

SR.RBA, SPO/BILLS, AO/CAS, SO/PF, SO/E.Fin/Fur, Ch.OS/CBS, Ch.OS/Pass, Ch OS/Settlement, Ch.OS/Con, Ch.OS/DAR, Ch.OS/CE's Office, SSE/77B, Ch.OS/Design, Ch.OS/91A,99A, O.O.File, P.File, Party thro' SSE/77B, Ch.OS/Design, Ch.OS/CE's Office, Ch.OS/91A, Ch.OS/99A.

Ch.S&WI/Shell & Fur – यदि कोई विसंगति इनके ध्यान में आता है तो अनुरोध है कि उक्त मामले में अनुवर्ती कार्रवाई करें तथा अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें/ They are requested to follow up the cases and report to the undersigned, if any discrepancy is brought to their notice.

CVI, Ch.OS/DAR – यदि उपर्युक्त प्रत्येक कर्मचारियों के विरुद्ध कोई सतर्कता डीएआर कार्रवाई अवेक्षित है तो सेवानिवृत्ति की तारीख से तीन सप्ताह के पहले सकाधि/कल्याण को सूचित करेंगे। इस संबंध में सूचना नहीं मिलने पर 'कुछ नहीं' के रूप में माना जाएगा तथा तदनुसार पेंशन दस्तावेज को अंतिम रूप दे दिया जाएगा / They will please advise whether any vigilance/DAR action is contemplated against the above individuals three weeks before the date of retirement to SPO/Welfare, failing which it will be construed as NIL reply and pension papers finalized accordingly.

Dy. CEE/M Office, SSE/Works/GL/SM/SC, Estate Supervisor, Ch.OS/Quarters: यदि उपर्युक्त कर्मचारियों को कोई आवास आबंटित किया गया है तो आवास खाली कराने के संबंध में कार्रवाई करेंगे / They will please take action in regard to vacation of quarters if any, allotted to above named employees / निम्नलिखित से निवेदन है कि उक्त कर्मचारी के विरुद्ध यदि कोई दावा करना है तो उसका विवरण प्रस्तुत करें। बकाया नहीं होने के मामले में 'कुछ नहीं' का विवरण अविलंब भेज दें। सेवानिवृत्ति की तारीख से तीन सप्ताह के अंदर यदि कोई सूचना नहीं मिलती है तो यह समझा जाएगा कि उक्त कर्मचारी का कोई बकाया राशि देय नहीं है। तदनुसार उक्त कर्मचारी को राशि का भुगतान किया जाएगा, लेकिन इसके बाद यदि कोई दावा प्रस्तुत किया जाता है तो उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा और विलंब से किए गए दावे के कारण राशि की वसूली के लिए वे ही जिम्मेदार होंगे। यदि कोई दावा हो तो, उसका विवरण सहायक कार्मिक अधिकारी/बिल्स/सडिका/चेन्नै-38 के पास (तीन प्रतियों में) प्रेषित कर दें तथा जिस बट्टे खाते में इस राशि को डालना है उस लेखाशीर्ष का भी उल्लेख करें। The under mentioned are requested to advise the particulars of claims if any against the above named employees. In case there is no claim NIL statement should be sent without fail. In spite of the above, if no reply is received to this communication on or before three weeks before the date of retirement, it will be assumed that there is no outstanding dues and thereafter the Railway Servant will be settled up and any amount intimated by them subsequently will be refused and they will be responsible for the recoverable amount. The particulars of claims should be sent to SPO/BILLS/ICF/CHENNAI-38 (3 copies) duly indicating the Heads of accounts to which the amounts are to be credited.